फारम 127

"कृपया देखें पाराग्राफ–88"

बिक्री अधिसूचना।

वित्तीय वर्ष 2015–16 (1ली अप्रैल–2015 से 31 मार्च 2016 तक) (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब दुकानों की खुदरा बिक्री के लिए)

1. इसके साथ संलग्न सूची में अंकित स्थानों या अवस्थिति के क्षेत्रों के लिए देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब दुकानों की बंदोवस्ती दिनांक–**11.03.2015** को तथा आवश्यकतानुसार उसके अगले दिन 10:00 बजे दिन से **समाहरणालय सभा कक्ष, जमुई** में लॉटरी प्रणाली द्वारा निर्धारित फीस पर बंदोवस्त की जायेगी।

2. लॉटरी द्वारा दुकानों की बंदोवस्ती निम्नाकित शर्तो के अधीन होगी और इन सभी शर्तो से अपने को प्रतिबद्ध रखते हुए ही कोई व्यक्ति बंदोवस्ती मे भाग ले सकता है।

3. लॉटरी द्वारा बंदोवस्ती होने वाली देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब दुकानों की अवस्थति के मामले में दुकान के स्थान या स्थान के नाम के बदले एक या अनेक दुकानों की अवस्थिति का क्षेत्र घोषित कर बंदोबस्ती की जायेगी।

4.(क) सभी प्रकार के शराब के खुदरा दुकानों को लॉटरी प्रणाली द्वारा मूल रूप से दुकानवार बंदोवस्त किया जाएगा लेकिन राजस्व हित में अधिकाधिक दुकानों की बंदोवस्ती के प्रयोजनार्थ उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती एकल दुकान या अधिकतम 3 (तीन) खुदरा उत्पाद दुकानों का समूह बना कर वर्त्तमान नीति के प्रावधानों के तहत लौटरी द्वारा बंदोवस्त किया जाएगा। छोटा समूह अधिकतम 3 (तीन) दुकानों का इस प्रकार बनाया जाएगा जिसमें लाभकर दुकानों के साथ अपेक्षाकृत कम लाभ बाले दुकानें भी रहेंगी।

दुकानों के प्रत्येक समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के लिये तीन व्यक्तियों का नाम लॉटरी द्वारा निकाला जाएगा। लॉटरी द्वारा निकाले गये प्रथम नाम के साथ ही दुकान की बंदोवस्ती की जाएगी। यदि किसी कारण से प्रथम व्यक्ति के साथ बंदोवस्त नहीं हो सके या बंदोवस्ती के बाद भी यदि अनुज्ञप्ति विखंडित हो जाती है तो उक्त समूह (एकल दुकान को समूह सहित) के दुकान के लिये चयनित दुसरे लॉटरी विजेता तथा उसके मुकर जाने के उपरान्त तीसरे लॉटरी विजेता के साथ बंदोवस्ती की जाएगी।

यदि लॉटरी विजेता दुकान/दुकानों का समूह की बंदोवस्ती लेने से मुकर जाता है तो वह राज्य के किसी भी दुकान की बंदोवस्ती लेने से निरर्हित हो जाएगा।

(ख) किसी जिला में चयनित आवेदक के साथ तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानो की बंदोवस्ती नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोवस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ग) किसी दुकान या दुकानों के समूह के लिए तीन से कम अभ्यर्थी होने की स्थिति में उपलब्ध अभ्यर्थियों के बीच ही लॉटरी द्वारा बंदोवस्ती की कार्रवाई की जायेगी।

5. इस बिक्री अधिसूचना मे वर्णित शर्ते अनुज्ञप्ति की भी शर्ते मानी जायेगी। बिक्री अधिसूचना के प्रपत्र की प्रतिलिपि समाहर्ता के कार्यालय/विभाग के वेवसाइट–**www.excise-bihar.gov.in** पर देखी जा सकती है।

6.(क) लॉटरी द्वारा बंदोवस्त खुदरा दुकानों की अनुज्ञप्ति 1 ली अप्रील 2015 से प्रभावी होगी, जो 31 मार्च 2016 तक के लिये प्रदान की जायेगी। किसी अनुज्ञप्ति की बंदोवस्ती अगर वर्ष 2015–16 के बीच में किसी अन्य तिथि के प्रभाव से की जाती है, तब भी बंदोवस्ती की तिथि से 31 मार्च 2016 तक के लिये ही अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

(ख) अनुवर्ती वर्ष के लिये अनुज्ञप्ति नवीकरण सरकार द्वारा निर्धारित बंधेज एवं शर्तो पर की जा सकती है। परंतु दो उत्पाद वर्ष जो दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त होगी, उससे अधिक अवधि के लिये अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी।

7.(क) लॉटरी द्वारा खुदरा दुकानों की बंदोवस्ती लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी (आवेदक) को अपने आवेदन के साथ वैयक्तिक पहचान–प्रमाण (आइडेंटिटी प्रुफ) के रूप में स्थायी निवास के प्रमाण के लिये फोटोयुक्त पहचान–पत्र जैसे मतदाता परिचय–पत्र, पासपोर्ट, आयकर स्थायी खाता संख्या, एवं ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि समर्पित करने की अनिवार्यता होगी तथा यदि किसी कारणवश फोटोयुक्त पहचान–पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर नहीं समर्पित की जाती है तो किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो तथा राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी राशनकार्ड, निवास प्रमाण–पत्र, जल/ टेलीफोन/विजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेंटमेन्ट इनमे से किसी एक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करने की अनिवार्यता होगी।

लॉटरी प्रणाली द्वारा बंदोवस्त की जाने वाली खुदरा देशी शराब/मसालेदार देशी शराब दुकानें भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकाने तथा कम्पोजिट शराब की दुकानों की बंदोवस्ती लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति एक या एक से अधिक दुकानों या एक से अधिक समूह के दुकानों के लिये भी आवेदन दे सकता है, वशर्ते सभी दुकानों एवं समूह के दुकानों जिसके लिये आवेदन देगा उस पर विभाग द्वारा निर्धारित अलग अलग आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फी) जमा करना होगा जो उन्हें वापस लौटायी नहीं जायेगी। परन्तु अधिकतम तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोवस्ती एक जिले में एक व्यक्ति के साथ नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोवस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ख) लॉटरी द्वारा बंदोवस्त की जाने वाली उत्पाद खुदरा दुकानों के लिये इच्छुक आवेदकों से दुकानों को दो श्रेणी में विभक्त कर यथा हाई पोटेंशियल जोन एवं लो पोटेंशियल जोन के आधार पर समर्पित की जाने वाली आवेदन के साथ दुकानवार निर्धारित आवेदन षुल्क की राशि जो वापसी योग्य नहीं है, को एकीकृत कर हाई पोटेंशियल जोन के लिये निर्धारित श्रेणीवार दुकनों के लिये निर्धारित किये गये आवेदन शुल्क की राशि ही निम्नवत निर्धारित दर से आवेदन शुल्क की राशि के रूप में देय होगा।

क्षेत्र का नाम	हाई पोटेंशियल एवं लो पोटेंशियल जोन के लिये
पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित	रू0 7000 (सात हजार)
अन्य नगर निगम क्षेत्र के लिये	रू0 5000 (पाँच हजार)
नगर परिषद क्षेत्र के लिये	रू0 4000 (चार हजार)
नगर पंचायत क्षेत्र के लिये	रू0 3000 (तीन हजार)
प्रखण्ड मुख्यालय (जो उपर्युक्त क्षेत्रों से भिन्न हो)	रू0 3000 (तीन हजार)
अन्य ग्रामीण क्षेत्र	रू0 2000 (दो हजार)

छोटे समूह में उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती लेने वाले इच्छुक आवेदकों से आवेदन शुल्क की राशि समूह के प्रत्येक दुकान के लिये अलग–अलग निर्धारित दर पर ही जमा करायी जायेगी, न कि समूह के दुकानों को एक दुकान मानकर उन्हें समूह के दुकान के लिए एक दुकान का आवेदन शुल्क जमा करने की छुट दी जाएगी।

अभ्यर्थी राज्य के किसी भी जिला में अवस्थित किसी भी दुकान के लिये आवेदन दे सकते हैं। यदि वे चाहें तो जिस जिला में वे रहते हैं, वहाँ के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय से बाहर के जिला में अवस्थित दुकानों के लिये भी आवेदन दे सकते है, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन फीस बैंक ड्राफट/बैंकर्स चेक के माध्यम से समर्पित करना होगा जो उस जिला में भुगतेय होगा जिस जिला की दुकान के लिये वह आवेदन देगा।

8. बंदोवस्ती में किसी भी आवेदक के विरूद्ध निम्नांकित कोई अयोग्यता पाये जाने पर उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगाः–

(क) अगर वह 21 वर्ष से कम आयु का हो।

(ख) वह सरकारी बकायेदार हो।

(ग) आवेदक का नाम उत्पाद बकायेदार की सूची या काली सूची में हो।

(घ) अगर वह दिवालिया (इनसोलवेंट) हो।

आवेदक को उपरोक्त अयोग्यता नहीं रहने के समर्थन में निम्नांकित आशय का शपथ पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(I) उस पर कोई सरकारी देयता अथवा बकाया नहीं है।

(II) उसका नाम उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग की बकाया अथवा काली सूची में नहीं है।

(III) उसे बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रावधानो के अधीन उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से न तो वर्जित किया गया है और न किसी भी अन्य राज्य से तत्संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति धारण से वर्जित किया गया है तथा उसका नाम अन्य राज्यों के बकाया एवं काली सूची में नहीं है।

(IV) उसका नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी आपराधिक पृष्टभूमि नहीं है तथा उसके बिहार उत्पाद अधिनियम 1915, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 या किसी संज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध में दंडित किये जाने की स्थिति में वह एक वर्ष से अधिक की कारावास अवधि का सजायाफता नहीं है, और

(V) यह अंडरटेकिंग कि उसके अनुज्ञाधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में राज्य के जिन–जिन जिलों में पूर्व में वह लाइसेंसी रहा है, उन जिलों से बकाया दार/काली सूची में सम्मिलित नहीं होने से संबंधित प्रमाण पत्र लाइसेंस जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर यदि उसके द्वारा लाइसेंसिंग पदाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो लाइसेंसिग पदाधिकारी उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त/विखंडित कर सकेगा।

9. बंदोवस्ती में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपनी पात्रता के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ सभी परिपूर्ण अभिलेख बंदोवस्ती के दिन को छोडकर पांच दिन पूर्व जिला उत्पाद कार्यालय में जमा करेगा तथा उसकी प्राप्ति रसीद लेगा। आवेदन के साथ निम्नाकित कागजात (आवेदन शुल्क की राशि सहित) समर्पित करने की अनिवार्यता होगी।

(क) एकल दुकान या समूह की दुकानों, जिसके लिये वे आवेदन देना चाहते है, उसके लिये अलग अलग दर पर निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि नगद, बैंक ड्राफट या बैंकर्स चेक द्वारा,

(ख) शपथ पत्र (बिक्री अधिसूचना के प्रावधानानुसार)

(ग) वैयक्तिक पहचान प्रमाण (आईडेंटिटी प्रुफ) से संबंधित बांछित कागजात।

10. कर्तव्यस्थ पदाधिकारियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति बंदोवस्ती वाले हॉल में हॉल टिकट प्रस्तुत किये बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद जैसी भी स्थिति हो वास्तविक आवेदक या उसकी अनुपस्थिति में उसके एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को एक निःशुल्क हॉल टिकट निर्गत करेंगे।

11. दुकानों की बंदोवस्ती के लिये लॉटरी निकालने के दो दिन पूर्व उस दुकान के योग्य व्यक्तियों के नामों की सूची प्रकाशित कर दी जायेगी।

12. किसी भी आवेदक की वैयक्तिक पहचान पत्र, पात्रता एवं उनके द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के संबंध में दुसरे आवेदक द्वारा लिखित चुनौती लॉटरी के पूर्व दी जा सकती है। आवेदक की पात्रता, शपथ–पत्र के संबंध में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

13.(क) यदि कोई दुकान/ दुकानों के समूह किसी कारण से बंदोवस्त नहीं हो सके, तो समाहर्त्ता पुनः बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करेंगें। परन्तु इसके लिये 15 दिन पूर्व बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

(ख) बंदोवस्ती सर्वप्रथम वैसी दुकान/ दुकानों के समूह से प्रारंभ की जायेगी जिसका न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा कम होगी।

14.(क) बंदोवस्ती के तुरन्त बाद बंदोवस्तदार को वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का वारहवॉ भाग अग्रिम अनुज्ञाशुल्क के रूप में बैंक ड्राफट/नगद जमा करना होगा।

बंदोवस्तदार को वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के बारहवें भाग के बराबर प्रतिभूत राशि नगद या बैंक ड्राफट या बैंक गारंटी या जिले के समाहर्त्ता अथवा सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के पद नाम से बंधीकृत फिक्स डिपोजिट (Scheduled Nationalised Bank का) या थातीकृत राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र के रूप में बंदोवस्ती के तुरंत बाद जमा करना होगा। बैंक गारंटी की मान्यता अवधि जून 2016 रहेगी।

(ख) बंदोवस्तदार/अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक माह की 1ली तारीख को वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का बारहवा भाग जिला के कोषागार में जमा करेगा। किसी कारणवश पहली तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस जमा नही कर सकने की स्थिति में अनुज्ञाधारी संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से कारण सहित समय के लिये अनुरोध कर सकता है, परंतु हर हाल में माह के 20वीं तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस आवश्य जमा कर देगा यदि 20वीं तारीख सार्वजनिक अवकाश का दिन हो तो अगले कार्य दिवस को जमा करेगा, अन्यथा अनुज्ञप्ति रदद् कर दी जायेगी तथा जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जायेगी तथा उक्त दुकान/दुकानों के समुह लॉटरी के क्रम संख्या दो के अभ्यर्थी के साथ अथवा अभ्यर्थी संख्या–2 को दुकान लेने से इनकार करने पर अभ्यर्थी संख्या तीन के साथ बंदोवस्त कर दी जायेगी।

(ग) खुदरा उत्पाद दुकानों की समूह में बंदोवस्ती लेने वाले अनुज्ञाधारियों की समूह के किसी दुकान की अनुज्ञप्ति की शर्तो के उल्लंघन के लिये दुकान की अनुज्ञप्ति के साथ–साथ समुह के अन्य दुकानों की अनुज्ञप्तियाँ भी बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा–42(2) के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त का पालन करते हुए विखंडित कर समूह के सभी दुकानों की जमानत राशि एवं अग्रिम अनुज्ञाशुल्क जप्त कर ली जा सकेगी।

15. (क) जहाँ बंदोवस्ती पूरे वर्ष के लिये होगी वहाँ अनुज्ञप्ति फीस का बारहवाँ भाग उपर्युक्त कंडिका (ख) के अनुसार जमा करेगा। परन्तु जहाँ बंदोवस्ती साल के बीच में होगी वहाँ समानुपातिक मासिक अनुज्ञाशुल्क देय होगी।

(ख) किसी मदिरा की दुकान सम्पूर्ण उत्पाद वर्ष के लिये बंदोवस्त की जायेगी। अगर बंदोवस्ती साल के बीच में होगी तो वैसी स्थिति में वह उत्पाद वर्ष की 31वीं मार्च तक प्रभावी रहेगी।

(ग) प्रतिभूति राशि तथा एक माह की अग्रिम अनुज्ञप्ति फीस के साथ–साथ जिस माह से अनुज्ञप्ति दी गई है, उस माह की अनुज्ञप्ति फीस भी जमा करने के बाद बंदोवस्तदार के पक्ष में अनुज्ञप्ति तुरंत निर्गत कर दी जायेगी। अग्रिम अनुज्ञाशुल्क वर्ष की समाप्ति वाले माह में समायोजित होगी, इसके लिये अनुज्ञाधारी को आवेदन देना होगा। परंतु प्रतिभूति राशि अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के बाद, उसके बकाया राशि, अगर कुछ हो की कटौती कर वापस की जायेगी।

(घ) स्थल का अनुमोदन होते ही स्थल का ब्यौरा अनुज्ञप्ति में अंकित कर दिया जायेगा।

16.(क) कंडिका 15(ग) के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त होते ही आपत्ति रहित स्थल उपलब्ध करने की पूरी जबावदेही अनुज्ञाधारी की होगी। अनुज्ञाधारी बंदोवस्ती के बाद 10 (दस) दिनों के अंदर, आपत्ति रहित प्रस्तावित दुकान परिसर के पूर्ण विवरण के साथ उसके अनुमोदन हेतु जिला के समाहर्त्ता को आवेदन देगे। समाहर्त्ता द्वारा अनुमोदित स्थल पर ही दुकान खोली जायेगी। स्थल की स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय आवेदन प्राप्ति के दस दिनों के अंदर समाहर्त्ता द्वारा कर दिया जायेगा अन्यथा अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद तथा समाहर्त्ता संयुक्त रूप से राजस्व क्षति के लिये उत्तरदायी होगें।

बंदोवस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति स्थल के अनुमोदन हेतु समर्पित किये जाने वाले अपने आवेदन पत्र के साथ अनुज्ञप्ति स्थल के प्रवेश द्वार एवं अंदर के भाग तथा उसके चौहद्दी में स्थित भूमि भवन/खाली स्थानों का Still Photograph जिसमें मात्र उनकी भी उपस्थिति रहेगी, तीन प्रतियों में अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करेंगें।

(ख) बंदोवस्ती के सफल लैाटरी विजेता अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से दो माह के अंदर अपने स्थायी लेखा संख्या (PAN) कार्ड की छाया प्रति अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगें।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र के कंपोजिट शराब दुकानें शहरी क्षेत्र (नगर निगम,नगर परिषद,नगर पंचायत) की सीमा से कम–से–कम दो किलोमीटर की दुरी पर खोली जायेगी तथा प्रखंड मुख्यालय अवस्थित पंचायत की सीमा से कम–से–कम एक किलोमीटर की दूरी पर खोली जायेगी।

17. स्थल चयन के कारण दुकान खोलने में विलम्ब के लिये अनुज्ञप्तिधारी स्वयं जिम्मेबार होगा तथा इसके लिये किसी प्रकार की छुट/क्षतिपूर्ति का वह हकदार नहीं होगा।

18. सरकार शराब पर देय उत्पाद कर में एवं राजस्व पर्षद लागत मुल्य में किसी भी समय परिवर्तन कर सकती है।

19.(क) बिक्री अधिसूचना में अंकित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का बारहवॉ भाग प्रत्येक माह में अनुज्ञाधारी को उठाना होगा। निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उपर किन्तु 15 प्रतिशत तक अधिक उठाव करने पर अनुज्ञप्ति फीस पर पूर्ण छूट होगी परन्तु निर्धारित कोटा के 15 प्रतिशत से भी उपर उठाव करने पर देय प्रति एल0पी0एल0 अनुज्ञप्ति फीस की राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस के रूप में अग्रिम रूप में देय होगा । किसी माह का बचा हुआ कोटा अगले माह में उठाने पर इसे अतिरिक्त उठाव नहीं माना जायेगा। परन्तु माह मार्च का बचा हुआ कोटा माह अप्रील में उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(ख) विदेशी शराब की खुदरा अनुज्ञप्ति के मामले में यदि कोई बंदोवस्तदार अपनी अनुज्ञप्त परिसर को "ऑन" बिक्री में परिवर्तित करना चाहेगा तो वह उस दुकान का वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का 10 (दस) प्रतिशत अधिक राशि देने की सहमति के साथ संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को आवेदन देगा। उसके आवेदन पर विचार करते हुए उसे अपने दुकान में "ऑन" बिक्री की अनुमति दी जायेगी लेकिन ऐसी स्थिति में उत्पाद नियम 47 के अन्तर्गत स्थल आपत्ति रहित होने पर ही यह सुविधा दी जा सकती है।

(ग) "ऑन" बिक्री के लिए उसी परिसर से सटा हुआ एक अलग कमरा/जगह जो "ऑफ" काउन्टर से अलग हो, रखना होगा तथा उसका पूर्ण विवरण तथा नक्शा का ब्लू प्रिंट तीन प्रतियों में समाहर्त्ता के अनुमोदनार्थ देना होगा, जो समाहर्त्ता से अनुमोदित होना अनिवार्य होगा।

(घ) समानुपातिक मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस तक अनुज्ञाधारी को उठा लेना होगा।

(ड.) प्रत्येक प्रकार की मदिरा के बोतल/सैसे पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित रहेगा तथा उससे अधिक मूल्य पर उपभोक्ता को नहीं बेचेगा।

20. अनुज्ञाधारी उठायी गयी सम्पूर्ण शराब की मात्रा अनुज्ञाप्ति अवधि की समाप्ति के पूर्व तक बेचना सुनिश्चित करेगा।

21. मदिरा की अनापूर्ति की दशा, दुकान खुलने में विलम्ब, चुनाव के कारण दुकान की बंदी आदि की दशा में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी और नहीं अनुज्ञाशुल्क में छूट का कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।

22.(क) अनुज्ञाधारी अपनी अनुज्ञप्त परिसर के बाहर मुख्य दरबाजा पर लगी बोर्ड पर निम्नांकित सूचनाएं स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेगा–

(i) दुकान का नाम एवं अनुज्ञप्ति अवधि,

(ii) अनुज्ञाधारी का नाम

(iii) दुकान के अधिकृत बिक्रेता का नाम

(iv) सभी श्रेणी के शराब का अधिकतम खुदरा मुल्य

(ख) बंदोवस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर के प्रवेश द्वार पर विभागीय पत्रांक–4085 दिनांक– 31.12.2010 में निर्धारित मानक के अनुसार 3'X2.5' साईज का साईन बोर्ड लगायेंगें तथा उस पर निर्धारित भाषा एवं रंग में ही आवश्यक सूचना लिखवायेगें।

(ग) बंदोवस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर अथवा उसके आस–पास किसी उत्तेजक चित्र एवं भाषा वाले पेंटिंग्स/बोर्ड का उपयोग न तो स्वयं करेगें और नहीं किसी अन्य को इसकी अनुमति देगें।

(घ) बन्दोवस्तधारी, निगम के डिपो से पासबुक में प्रविष्टि कराकर ही मदिरा का निर्गमन लेंगे।

23.(क) बंदोवस्तदार बिहार उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बने उन सभी नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार/ राजस्व पर्षद द्वारा बनाये गये है, या समय–समय पर बनाये जायेंगे। साथ ही अनुज्ञप्तिधारी सक्षम पदाधिकारी से समय–समय पर जारी किये गये या किये जाने वाले सभी संबंधित आदेशों, निर्देशो एवं अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

(ख) अनुज्ञप्ति परिसर में निरीक्षण के समय अनुज्ञाधारी निरीक्षी पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करेगा। स्टॉक पंजी प्रत्येक दिन का अद्यतन लिखना आवश्यक होगा। अनुज्ञप्ति परिसर में अनुज्ञप्ति भी रखना होगा तथा मांगने पर सभी अभिलेख प्रदर्शित करना होगा।

24. राज्य सरकार अपनी बंदोवस्ती नीति में किसी भी समय परिवर्तन करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।

25. इस बिक्री अधिसूचना की शर्त्त अनुज्ञप्ति की शर्त्त भी मानी जायेगी तथा इसके उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम की धारा 42 एवं अन्य संगत प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

समाहरणालय का नामः– **जमुई।**
दिनांकः–

समाहर्त्ता, जमुई।

ज्ञापांक– 64 /ऊ0 जमुई, दिनांक– 20.2.15
प्रतिलिपि :– आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

समाहर्त्ता, जमुई।

ज्ञापांक– 64 /ऊ0 जमुई, दिनांक– 20.2.15
प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय उपायुक्त उत्पाद/ सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/ सभी अधीक्षक उत्पाद/ पुलिस अधीक्षक, जमुई/ अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई/ जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, जमुई/ जिला कल्याण पदाधिकारी, जमुई/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमुई जिला/ निरीक्षक उत्पाद, जमुई/सभी अवर निरीक्षक उत्पाद, जमुई जिला/ डिपो प्रबंधक, बी0 एस0 बी0 सी0 एल0 जमुई एवं वृहत प्रचारार्थ प्रेषित। इसकी एक प्रति समाहरणालय जमुई के सूचना पट्ट पर भी चिपकाई जाय।

इच्छुक व्यक्ति विहित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र एवं आवश्यक कागजात दिनांक– 07.03.2015 तक अधीक्षक उत्पाद, जमुई के कार्यालय में कार्यावधि तक जमा कर सकते है। विशेष जानकारी के लिए अधीक्षक उत्पाद, जमुई के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को सम्पर्क किया जा सकता है।

समाहर्त्ता, जमुई।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए बन्दोबस्ती हेतु समूहवार शराब दुकानों की सूची:–

जिला :– जमुई

क्र0	समूह सं0	दुकान का नाम एवं संख्या	वार्ड/पंचायत का नाम	मासिक कोटा				वार्षिक कोटा				वार्षिक	मासिक
				दे0 श0	म0 दे0 श0	वि0 श0	बीयर	दे0 श0	म0 दे0 श0	वि0 श0	बीयर	अनुज्ञाशुल्क	अनुज्ञाशुल्क
				L.P.L	L.P.L	L.P.L	B.L	L.P.L	L.P.L	L.P.L	B.L		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	नगर परिषद् देशी शराब दुकान जमुई न0– 1	1–30	3292.0	448.0	-	-	39504.0	5376.0	-	-	4039200.00	336600.00
2		कम्पोजिट दुकान संख्या– 11	जीतझिगोय, खडाईच, कोल्हुआ	1300.0	175.0	479.0	251.0	15600.0	2100.0	5748.0	3012.0	2485320.00	207110.00
3		कम्पोजिट दुकान संख्या– 19	ककनचौर, मोहनपुर, दिघी, खिलाड़, गुगुलडीह	1005.0	135.0	479.0	251.0	12060.0	1620.0	5748.0	3012.0	2123520.00	176960.00
4	2	नगर परिषद् देशी शराब दुकान जमुई न0–2	1–30	3292.0	448.0	-	-	39504.0	5376.0	-	-	4039200.00	336600.00
5		कम्पोजिट दुकान संख्या – 7	मंझवे, काकन, लखनपुर	1060.0	145.0	479.0	251.0	12720.0	1740.0	5748.0	3012.0	2193720.00	182810.00
6		कम्पोजिट दुकान संख्या – 8	अड़सार, अमरथ, कुन्दरी सनकुरहा, दौलतपुर	1005.0	135.0	479.0	251.0	12060.0	1620.0	5748.0	3012.0	2123520.00	176960.00
7	3	नगर परिषद् देशी शराब दुकान जमुई न0–3	1–30	3292.0	448.0	-	-	39504.0	5376.0	-	-	4039200.00	336600.00
8		कम्पोजिट दुकान संख्या – 5	खरड़ीह, बिछवै, सबलबिघा, सिझौड़ी	1300.0	175.0	479.0	251.0	15600.0	2100.0	5748.0	3012.0	2485320.00	207110.00
9		कम्पोजिट दुकान संख्या – 10	इन्दपै, गरसंडा, थेगुआ, दाबिल	1300.0	175.0	479.0	251.0	15600.0	2100.0	5748.0	3012.0	2485320.00	207110.00
10	4	नगर परिषद् देशी शराब दुकान जमुई न0–4	1–30	3292.0	448.0	-	-	39504.0	5376.0	-	-	4039200.00	336600.00
11		कम्पोजिट दुकान संख्या – 6	मंजोष, मिरजापाठकचक, महादेव सिमरिया, ईटासागर	1300.0	175.0	479.0	251.0	15600.0	2100.0	5748.0	3012.0	2485320.00	207110.00
12		कम्पोजिट दुकान संख्या – 16	बरहट, वरियारपुर,कटौना, नूमर,डाढा	770.0	105.0	479.0	251.0	9240.0	1260.0	5748.0	3012.0	1837320.00	153110.00
13	5	नगर परिषद् देशी शराब दुकान जमुई न0–5	1–30	3292.0	448.0	-	-	39504.0	5376.0	-	-	4039200.00	336600.00
14	6	नगर परिषद् देशी शराब दुकान जमुई न0–6	1–30	3292.0	448.0	-	-	39504.0	5376.0	-	-	4039200.00	336600.00
15	7	नगर परिषद् देशी शराब दुकान जमुई न0–7	1–30	3292.0	448.0	-	-	39504.0	5376.0	-	-	4039200.00	336600.00

16	8	नगर परिषद् देशी शराब दुकान जमुई न0–8	1–30	3292.0	448.0	-	-	39504.0	5376.0	-	-	4039200.00	336600.00
17	9	नगर परिषद् देशी शराब दुकान जमुई न0–9	1–30	3292.0	448.0	-	-	39504.0	5376.0	-	-	4039200.00	336600.00
18	10	नगर परिषद् देशी शराब दुकान जमुई न0–10	1–30	3292.0	448.0	-	-	39504.0	5376.0	-	-	4039200.00	336600.00
19	11	नगर पंचायत देशी शराब दुकान झाझा न0–1	1–22	2378.0	322.0	-	-	28536.0	3864.0	-	-	2916000.00	243000.00
20		कम्पोजिट दुकान संख्या – 3	मिर्जागंज, दरखा, पुरसंडा, पोहे	815.0	110.0	479.0	251.0	9780.0	1320.0	5748.0	3012.0	1891320.00	157610.00
21	12	नगर पंचायत देशी शराब दुकान झाझा न0–2	1–22	2378.0	322.0	-	-	28536.0	3864.0	-	-	2916000.00	243000.00
22	13	नगर पंचायत देशी शराब दुकान झाझा न0–3	1–22	2378.0	322.0	-	-	28536.0	3864.0	-	-	2916000.00	243000.00
23	14	नगर पंचायत देशी शराब दुकान झाझा न0–4	1–22	2378.0	322.0	-	-	28536.0	3864.0	-	-	2916000.00	243000.00
24	15	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान – खैरा	प्रखण्ड मुख्यालय बाजार क्षेत्र	1991.0	273.0	-	-	23892.0	3276.0	-	-	2445120.00	203760.00
25		कम्पोजिट दुकान संख्या – 9	अमारी, अगहरा बरूअट्टा, चौडीहा	1300.0	175.0	479.0	251.0	15600.0	2100.0	5748.0	3012.0	2485320.00	207110.00
26		कम्पोजिट दुकान संख्या – 14	गोपालपुर, केन्डी, रायपुर, बेला	1300.0	175.0	479.0	251.0	15600.0	2100.0	5748.0	3012.0	2485320.00	207110.00
27	16	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान – सोनो	प्रखण्ड मुख्यालय बाजार क्षेत्र	1307.0	179.0	-	-	15684.0	2148.0	-	-	1604880.00	133740.00
28		कम्पोजिट दुकान संख्या – 15	चुवाँ, कागेश्वर, झुंडों, मांगोबंदर, बानपुर	1005.0	135.0	479.0	251.0	12960.0	1620.0	5748.0	3012.0	2123520.00	176960.00
29	17	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान – चकाई	प्रखण्ड मुख्यालय बाजार क्षेत्र	2300.0	314.0	-	-	27600.0	3768.0	-	-	2823120.00	235260.00
30	18	प्रखंड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान–चकाई	प्रखण्ड मुख्यालय बाजार क्षेत्र	-	-	1196.0	1999.0	-	-	14352.0	23988.0	2392680.00	199390.00
31		कम्पोजिट दुकान संख्या – 30	कियाजोरी,फरियत्ताडीह,गजही, नौवाडीह,माधोपुर,दुलमपुर,पेटरपहड़	1005.0	135.0	479.0	251.0	12660.0	1620.0	5748.0	3012.0	2123520.00	176960.00
32	19	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान–लक्ष्मीपुर	प्रखण्ड मुख्यालय बाजार क्षेत्र	1307.0	179.0	-	-	15684.0	2148.0	-	-	1604880.00	133740.00
33		प्रखंड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान–मलयपुर	प्रखण्ड मुख्यालय बाजार क्षेत्र	-	-	964.0	1969.0	-	-	11568.0	23628.0	1971480.00	164290.00
34		कम्पोजिट दुकान संख्या – 18	मटिया, आनंदपुर, हरला, काला, पिडरौन	770.0	105.0	479.0	251.0	9240.0	1260.0	5748.0	3012.0	1837320.00	153110.00

35		प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान – गिद्धौर	प्रखण्ड मुख्यालय बाजार क्षेत्र	2204.0	300.0	-	-	26448.0	3600.0	-	-	2704320.00	225360.00
36	20	प्रखंड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान–गिद्धौर	प्रखण्ड मुख्यालय बाजार क्षेत्र	-	-	1196.0	1999.0	-	-	14352.0	23988.0	2392680.00	199390.00
37		कम्पोजिट दुकान संख्या – 20	कुंधुर, रतनपुर, सेवा, गंगरा, मौरा	1300.0	175.0	479.0	251.0	15600.0	2100.0	5748.0	3012.0	2485320.00	207110.00
38		प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान–सिकन्दरा	प्रखण्ड मुख्यालय बाजार क्षेत्र	2204.0	300.0	-	-	26448.0	3600.0	-	-	2704320.00	225360.00
39	21	प्रखंड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान–सिकन्दरा	प्रखण्ड मुख्यालय बाजार क्षेत्र	-	-	1196.0	1999.0	-	-	14352.0	23988.0	2392680.00	199390.00
40		कम्पोजिट दुकान संख्या – 4	कुमार, गोखुला फतेहपुर, मथुरापुर, भुल्लो	900.0	120.0	479.0	251.0	10800.0	1440.0	5748.0	3012.0	1993920.00	166160.00
41		प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान – मलयपुर	प्रखण्ड मुख्यालय बाजार क्षेत्र	1760.0	235.0	-	-	21120.0	2820.0	-	-	2154600.00	179550.00
42	22	प्रखंड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान–लक्ष्मीपुर	प्रखण्ड मुख्यालय बाजार क्षेत्र	-	-	963.0	1969.0	-	-	11556.0	23628.0	1969680.00	164140.00
43		कम्पोजिट दुकान संख्या – 17	पाडो, लखैय, गौरा, भडैया, चिनवरिया	775.0	105.0	479.0	251.0	9300.0	1260.0	5748.0	3012.0	1842720.00	153560.00
44	23	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान–अलीगंज	प्रखण्ड मुख्यालय बाजार क्षेत्र	2300.0	314.0	-	-	27600.0	3768.0	-	-	2823120.00	235260.00
45		कम्पोजिट दुकान संख्या – 1	कैथा, दीननगर, सहोरा, कैयार, इस्लामनगर	1300.0	175.0	479.0	251.0	15600.0	2100.0	5748.0	3612.0	2485320.00	207110.00
46	24	नगर परिषद् विदेशी शराब दुकान जमुई न0–1	1–30	-	-	1681.0	3868.0	-	-	20160.0	46416.0	3489960.00	290830.00
47	25	नगर परिषद् विदेशी शराब दुकान जमुई न0–2	1–30	-	-	1681.0	3868.0	-	-	20160.0	46416.0	3489960.00	290830.00
48	26	नगर परिषद् विदेशी शराब दुकान जमुई न0–3	1–30	-	-	1681.0	3868.0	-	-	20160.0	46416.0	3489960.00	290830.00
49	27	नगर परिषद् विदेशी शराब दुकान जमुई न0–4	1–30	-	-	1681.0	3868.0	-	-	20160.0	46416.0	3489960.00	290830.00
50	28	नगर परिषद् विदेशी शराब दुकान जमुई न0–5	1–30	-	-	1681.0	3868.0	-	-	20160.0	46416.0	3489960.00	290830.00
51	29	नगर परिषद् विदेशी शराब दुकान जमुई न0–6	1–30	-	-	1681.0	3868.0	-	-	20160.0	46416.0	3489960.00	290830.00
52	30	नगर पंचायत विदेशी शराब दुकान झाझा न0–1	1–22	-	-	1351.0	2506.0	-	-	16212.0	30072.0	2732520.00	227710.00
53		कम्पोजिट दुकान संख्या – 21	धमना, जामुखरैया, केशोपुर, हथिया, कानन	870.0	115.0	479.0	251.0	10440.0	1380.0	5748.0	3012.0	1956120.00	163010.00

54	31	नगर पंचायत विदेशी शराब दुकान झाझा न0–2	1–22	-	-	1351.0	2506.0	-	-	1621[illegible].0	30072.0	2732520.00	227710.00
55		कम्पोजिट दुकान संख्या – 22	टेलवा, खुरंडा, कनौदी, बाराकोला, बलियाडीह	870.0	115.0	479.0	251.0	10440.0	1380.0	5748.0	3012.0	1956120.00	163010.00
56	32	नगर पंचायत विदेशी शराब दुकान झाझा न0–3	1–22	-	-	1351.0	2506.0	-	-	16212.0	30072.0	2732520.00	227710.00
57		कम्पोजिट दुकान संख्या – 23	चाँय, महापुर, रजला, छापा, बाराजोर	1300.0	175.0	479.0	251.0	15600.0	2100.0	5748.0	3012.0	2485320.00	207110.00
58	33	प्रखंड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान – खैरा	प्रखण्ड मुख्यालय बाजार क्षेत्र	-	-	1196.0	1999.0	-	-	14352.0	23988.0	2392680.00	199390.00
59		कम्पोजिट दुकान संख्या – 13	विशनपुर, नीमनवादा, भीमाईन, सारेबाद	775.0	105.0	479.0	251.0	9300.0	1260.0	5748.0	3012.0	1842720.00	153560.00
60	34	प्रखंड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान–अलीगंज	प्रखण्ड मुख्यालय बाजार क्षेत्र	-	-	1196.0	1999.0	-	-	14352.0	23988.0	2392680.00	199390.00
61		कम्पोजिट दुकान संख्या – 2	आढ़ा, अवगीला, कोल्हाना, कोदबरिया	1005.0	135.0	479.0	251.0	12060.0	1620.0	5748.0	3012.0	2123520.00	176960.00
62	35	प्रखंड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान – सोनो	प्रखण्ड मुख्यालय बाजार क्षेत्र	-	-	1196.0	1999.0	-	-	14352.0	23988.0	2392680.00	199390.00
63		कम्पोजिट दुकान संख्या – 27	महेश्वरी, चुरहैत, लालीलेवार, छुछुनिया, थम्हन, बाबुडीह	1005.0	135.0	479.0	251.0	12060.0	1620.0	5748.0	3012.0	2123520.00	176960.00
64	36	कम्पोजिट दुकान संख्या – 26	लोहा, लखनकियारी, दहियारी, ढोढरी, बेलम्वा, केशोफरका,	1339.0	175.0	479.0	251.0	16068.0	2100.0	5748.0	3012.0	2527440.00	210620.00
65	37	कम्पोजिट दुकान संख्या – 29	रामसिंहडीह,कल्याणपुर,नावाडीहसिल्फरी, घुटवे, डढवा, चन्द्रमंडी	1005.0	135.0	479.0	251.0	12060.0	1620.0	5748.0	3012.0	2123520.00	176960.00
66	38	कम्पोजिट दुकान संख्या – 12	हरखाड़, गरही, अरूणमाबांक, गोली, हरनी	1339.0	175.0	479.0	251.0	16068.0	2100.0	5748.0	3012.0	2527440.00	210620.00
67	39	कम्पोजिट दुकान संख्या – 24	बैजला, पैरगाहा, करमा, बोडवा, करहरा	1339.0	175.0	479.0	251.0	16068.0	2100.0	5748.0	3012.0	2527440.00	210620.00
68	40	कम्पोजिट दुकान संख्या – 25	गंदर, नैयाडीह, रजौन, बौंगी, पैरामटिहानी, बरमोरिया	1339.0	175.0	479.0	251.0	16068.0	2100.0	5748.0	3012.0	2527440.00	210620.00
69	41	कम्पोजिट दुकान संख्या – 28	पोझा, पराची, रामचन्द्रडीह, चैफला,ढाढी,सरौन, बामदह	1005.0	135.0	479.0	251.0	12060.0	1620.0	5748.0	3012.0	2123520.00	176960.00
कुल				90506.0	12242.0	37612.0	54188.0	108607[illegible].0	146904.0	451272.0	650256.0	185172000.00	15431000.00

20.12.15

अधीक्षक उत्पाद जमुई

20/12/15

समाहर्त्ता,
जमुई।